राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क्र:–3(33)राज–6 / 2007/17 जयपुर,दिनांकः– 13.6.07

परिपत्र

विषयः–राजकीय भूमि, जो अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अकिंत है, में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के कम में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कहीं–कहीं काफी बड़े क्षेत्रफल के भू भाग की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गयी है, जबकि आवागमन के लिए उसका एक भाग ही काम में आता है। राज्य के जिला कलेक्टरों द्वारा ऐसी राजकीय भूमि, जो अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अकिंत है, में से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी भूमि का आवंटन किया जाये अथवा नहीं।

उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सड़को जैसे– राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला रोड़, अन्य जिला रोड़, तथा गांवाई सड़के जिनके लिए नियंत्रण रेखा के मध्य की दूरी क्रमशः 150, 100, 35 एवं 30 मीटर निश्चित की है, को दृष्टिगत रखते हुए यदि उपरोक्त वर्णित से अधिक चौडे रास्ते हो तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की सड़को के लिए निर्धारित चौड़ाई, जो उपर वर्णित है, को छोड़कर ही शेष भूमि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जा सकेगी।

अतः भविष्य में उक्तानुसार स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए ही प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जावें।

आज्ञा से

13.6.07
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
2.समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
3.निबंधक, राजस्व मंडल अजमेर।
4.आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग।
5.समस्त उप शासन सचिव, राजस्व

13.6.07
शासन उप सचिव